

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बड़जलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति० जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नाम:- अनिल कुमार (आर.ए.एस)
अपील संख्या:- 285/2021

उनवान

1. पतासी देवी पत्नी स्व. रामेश्वर
2. प्रहलाद पुत्र स्व. रामेश्वर
समस्त जाजि जाट (गौत्र कुड़ी) निवासी करडका तहसील श्रीमाधोपुर, जिला नीम का थाना।

-----अपीलान्ट्स

बनाम

1. रूपकला उर्फ रूपदेवी उर्फ रूपबाला पत्नी महादेव पुत्र हमीरा (गौत्र बराला) जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
2. सत्यवीर पुत्र महादेव जाति जाट निवासी घाटमदासवाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना हाल निवास जी-25 सिद्धार्थ नगर, जगतपुरा रोड मालवीय नगर, जयपुर तहसील व जिला जयपुर।
3. धर्मवीर पुत्र महादेव
4. धर्मराज पुत्र महादेव
समस्त जाति जाट निवासीगण घाटमदास वाली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल आबाद 142 बी 2 नन्दपुरी मालवीय नगर सैक्टर 11 के पास जयपुर।
5. देवकरण पुत्र इन्दरराजराम जाति जाट निवासी ढाणी सुबेदारजी वाली तन ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
6. भींवाराण पुत्र मांगूराम जाति जाट निवासी ढाणी मांजीसाहब वाली तन ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
7. श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री मंगलचन्द जाति मीणा निवासी ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
8. पटवारी, पटवार हल्का ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।
9. तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

-----रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 29.10.2015
ग्राम कुरडका पटवार हल्का कुरडका तहसील श्रीमाधोपुर।

श्री सुशील कुमार, अधिवक्ता
श्री मनीराम जाखड़, अधिवक्ता

----- अपीलान्ट्स
-----रेस्पोजेन्ट

निर्णय

दिनांक:- 09.05.2024

संक्षेप में अपील अपीलान्ट इसप्रकार है कि भूमि खसरा नं. 199, 206, 518, 519, 523 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 10.48 है० तन ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके 1/4 भाग पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व से अपीलान्ट का पिता भौमा पुत्र बल्ला कुड़ी काबिज काश्त रहा है जिसका राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में स्पष्ट रूप से संवत् 2005 से 2027 तक अंकन है। जिस पर अपीलान्ट आज भी



(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीम का थाना

काबिज काशत चला आ रहा है। परन्तु अपीलान्त के पिता भौमा पुत्र बल्ला का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पति व पिता महादेव रामबक्स पुत्रगण हमीरा ने चालाकीपूर्वक साजिस संपूर्ण कार्यवाही फ्रॉडली करते हुये तत्कालीन राजस्व अधिकारियों व ग्राम पंचायत से षड़यंत्र कर अपीलान्त के पिता कि विरासत का नामान्तरकरण हमीरा के पुत्र महादेव व रामबक्साराम ने अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्त के पिता कि विरासत में सर्वथा फर्जी कार्यवाही करते हुये इन्द्राज करवाया तत्पश्चात् महादेव का स्वर्गवास होने पर वादग्रस्त भूमियों कि खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के नाम आ गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने गलत व नाजायज रूप से हुयी खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर वादग्रस्त भूमियों के बाबत् सर्वथा अवैध व अनाधिकृत विक्रय पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 5 देवकरण पुत्र इन्द्राज को व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 व 6 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 7 के नाम दिनांक 14.09.2015 को निस्पादित करवा दिया। जबकि पूर्व के विक्रय पत्रों के बाबत् अपीलान्त ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष विक्रय पत्रों को अवैध प्रभावशील व शुन्य घोषित करवाने तथा खातेदारी अधिकारों कि उदघोषणा के लिए वाद प्रस्तुत किया था एवं वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमें दिनांक 29.09.2014 वादग्रस्त भूमियों के बाबत् रिकार्ड व मौके कि यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश पारित किया जो आज भी प्रभावी है। न्यायालय का स्थगन होते हुये भी अवैध विक्रय पत्र दिनांक 14.09.2015 के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 29.10.2015 को स्वीकृत कर लिया। हल्का गिरदावर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.10.2015 को कि गयी है। जिसे नामान्तरकरण तस्दीक करते समय बदनियती से कर्टिंग कर दिनांक 19.09.2015 बनाया गया है जबकि 19.09.2015 को राजकीय अवकाश था। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत न कर ग्राम पंचायत कि समय सीमा में ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.10.2015 को क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वीकृत करवाया गया जो खारिज होने योग्य है। राजस्व मण्डल अजमेर के न्यायालय से निगरानी संख्या 5497/2015 जिला सीकर देवकरण बनाम रामेश्वर वगै. व निगरानी संख्या 5490/2015 जिला सीकर धर्मवीर बनाम हरिनारायण वगै. में पारित आदेश दिनांक 30.10.2015 के द्वारा उक्त दोनो निगरानी खारिज कर उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के स्थगन आदेश को बहाल रखा है। इसलिए नामान्तरकरण संख्या 604 खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कि जाकर नामान्तरकरण संख्या 604 दिनांक 29.10.2015 ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर को खारिज किया जावे।

अपील अपीलान्त पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कि गयी एवं जरिये नोटिस रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 3, 4, 5 के ओर से अधिवक्ता मनीराम जाखड उपस्थित आये एवं शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहे।

वकुलाय उभय पक्ष कि बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बताया कि भूमि खसरा नं. 199, 206, 518, 519, 523 कुल किता 5 कुल रकबा 10.48 है० तन ग्राम करडका तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके 1/4 भाग पर काशतकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से अपीलान्त का पिता भौमा पुत्र बल्ला कुडी काबिज काशत रहा है। अपीलान्त के पिता भौमा पुत्र बल्ला का स्वर्गवास होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पति व पिता महादेव रामबक्स पुत्रगण हमीरा ने चालाकी पूर्वक मय साजिस सम्पूर्ण कार्यवाही फ्रॉडली करते हुए राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व ग्राम पंचायत से षड़यंत्र रचकर अपीलान्त के पिता कि विरासत का नामान्तरकरण हमीरा के पुत्र महादेव व रामबक्साराम ने अपने पक्ष में स्वीकृत करवा लिया। अपीलान्त जाट जाति में कुडी गौत्र से है जबकि महादेव व रामबक्स जाति जाट बराला गौत्र से है। अपीलान्त के पिता कि विरासत में फर्जी कार्यवाही करते हुये इन्द्राज करवाया है। अपीलान्त ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष विक्रय पत्रों को अवैध प्रभावहीन व शुन्य घोषित करवाने तथा खातेदारी अधिकारों कि उदघोषणा के लिए वाद/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। प्रार्थना-पत्र में मौके व रिकॉर्ड कि यथास्थिति रखने का आदेश पारित किया गया था जो आज भी प्रभावी है। नामान्तरकरण संख्या 604 जो स्थगन आदेश के दौरान स्वीकृत किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। नामान्तरकरण ग्राम पंचायत में पेश नहीं किया एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया है। हल्का गिरदावर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 19.10.2015 को कि गई है। जिसे नामान्तरकरण तस्दीक करने के समय बदनियती से फ्रॉड करके कर्टिंग कर दिनांक 15.09.2015 बनाया गया है। जबकि 15.09.2015 को राजकीय अवकाश था। तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जो अवैध है। अतः नामान्तरकरण निरस्त किया जावे। वकील अपीलान्त ने दौराने बहस आर.आर.डी. मार्च 2006, पेज 131 एवं आर.आर.डी. जून 2006 पेज 351, आर.आर.डी. 1973 पेज 13 नजीर पेश करते हुये नामान्तरकरण संख्या 604 को अपास्त किये जाने का निवेदन किया।



(अनिल कुमार)
जतिरिवात जिला कबड्ढर
नीमकाथाना

दौराने बहस वकील रेस्पोंडेन्ट ने बताया कि वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में गलत तथ्य अंकित किये हैं। तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण संख्या 604 जो सही भरा गया है एवं विरासत के आधार पर गया नामान्तरकरण भी सही भरा गया है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण कि सम्पूर्ण जानकारी पूर्व से थी। अपीलान्ट द्वारा गलत तथ्य अंकित कर अपील पेश कि गई है। नामान्तरकरण भरते समय सम्पूर्ण दस्तावेजों कि जाँच कि जाकर नामान्तरकरण दर्ज कर स्वीकृत करवाया गया है। जिसमें किसी प्रकार कि कोई त्रुटि नहीं है। नामान्तरकरण भरा गया उस वक्त पटवारी हल्का द्वारा यह अंकित किया गया है कि वर्तमान में इस खाते पर कोई स्थगन नहीं है। नामान्तरकरण भरने के पश्चात जरिये विक्रय पत्र भूमि का बेचान हुआ है। जो सही है। अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट को परेशान करने कि गर्ज से अपील प्रस्तुत कि गई है। वकील रेस्पोंडेन्ट द्वारा दौराने बहस आर.आर.टी. 2018(2) पेज 1552 नजीर पेश करते हुये अपील खारिज कि जाने का निवेदन किया।


वकुलाय उभय पक्ष कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं प्रस्तुत नजीरों का अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 604 आदेश दिनांक 29.10.2015 को न्यायालय हाजा में चुनौति दि गई है। नामान्तरकरण संख्या 604 के अवलोकन से पाया गया कि उक्त नामान्तरकरण मुताबिक विक्रय पत्र के भरा गया है।

जब तक आधार दस्तावेज जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है, को सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता है, तब तक उसके आधार पर दर्ज नामान्तरकरण संख्या 604 जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है, पूर्णतः सही प्रतीत होता है। नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त पटवारी व गिरदावर द्वारा सभी पविष्टियों का अंकन स्पष्ट रूप से किया हुआ है। उक्त नामान्तरकरण बाबत् इस स्तर पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 604 आदेश दिनांक 29.10.2015 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अनिलकुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नौदकाथाना का थाना